

इसे वेबसाईट [www.govtprintmp.nic.in](http://www.govtprintmp.nic.in) से भी डाउन लोड किया जा सकता है।



# मध्यप्रदेश राजपत्र

## (असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 292]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 5 जुलाई 2013—आषाढ़ 14, शक 1935

सामान्य प्रशासन विभाग  
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 5 जुलाई 2013

क्र. एफ. ए. 3-34-2008-एक (1)-819.—इस विभाग की अधिसूचना क्र. एफ. ए. 3-34-2008-एक (1)-1867, दिनांक 1 नवम्बर 2009 में अंशतः संशोधन करते हुए और मध्यप्रदेश शासन कार्य (आवंटन नियम) के नियम 4 के अनुसरण में, मध्यप्रदेश के राज्यपाल, निम्नलिखित मंत्री के प्रभार में उनके नाम के सामने दिये गये विभाग और / या विभाग की कार्य-सूची के विषय सौंपते हैं :—

स.क्र.	मंत्री का नाम	सौंपे गये विभाग और / या विभाग की कार्य-सूची के विषय
(1)	(2)	(3)
1.	श्री जयंत मलैया मंत्री	वित्त, योजना, आर्थिक एवं सांस्थिकी, वाणिज्यिक कर, जल संसाधन, आवास और पर्यावरण (आवास को छोड़कर).

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

आर. परशुराम, मुख्य सचिव.

भोपाल, दिनांक 5 जुलाई 2013

क्र. एफ. ए. 3-34-2008-एक (1)-820.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्र. एफ. ए. 3-34-2008-एक (1)-819, दिनांक 5 जुलाई 2013 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

आर. परशुराम, मुख्य सचिव.

Bhopal, the 5th July 2013

No. F. A. 3-34-2008-ONE (1)-819.—In partial modification of the department's Notification No. F. A. 3-34-2008-ONE (1)-1867, dated 1st November 2009 and in pursuance of Rule 4 of the Madhya Pradesh Government Business (Allocation) Rules, the Governor of Madhya Pradesh is pleased to assign to the charge of the following Minister, the Department(s) and / or the item(s) of business in the department(s) shown against their names :—

S. No.	Name of the Minister	Department(s) and / or item(s) of business in the department assigned
(1)	(2)	(3)
1.	Shri Jayant Malaiya	Finance, Planning, Economic and Statistics, Commercial Tax, Water Resources, Housing and Environment (Except Housing).

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,  
R. PARASURAM, Chief Secy.